



**भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India**  
**संपदा विभाग / Estate Department**  
**तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram**

**निविदा आमंत्रित सूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम स्थित कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड स्थित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में स्थापित विद्युत/विद्युत-यांत्रिक प्रतिष्ठानों की विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराने हेतु निविदा (सीलबंद कोटेशन) आमंत्रित करता है। यह एक खुली निविदा है। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस निविदा में भाग लेने से पहले अपनी पात्रता के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक से जाँच कर लें।

**निविदा अनुसूची (एसओटी)**

क. निविदा का नाम	तिरुवनंतपुरम में कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड में आरबीआई कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में प्रदान की गई विद्युत-यांत्रिक प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट करना।
ख. अनुमानित लागत	₹2.50 लाख (जीएसटी सहित)
ग. निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	6 अगस्त 2025, अपराह्न 5:00 बजे
घ. बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की वैधता	कोटेशन खोलने की तिथि से 90 दिन
ई. निविदाएं जमा करने की आरंभ तिथि	28 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 11:00 बजे
च. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि	8 सितंबर 2025, मध्याह्न 2:00 बजे
छ. निविदाएं खोलने की तिथि	8 सितंबर 2025 अपराह्न 03:00 बजे

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**क्षेत्रीय निदेशक, केरल और लक्षद्वीप**

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

## खंड - I

### वाणिज्यिक नियम और शर्तें

#### निविदा का प्रारूप

स्थान.....  
तारीख.....

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग  
बेकरी जंक्शन  
तिरुवनंतपुरम - 695 033

प्रिय महोदय

हमने ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने वाली उनसे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को समय ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, करार की शर्तें, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा की शर्तों में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा प्रदान की गई ऐसी सामग्रियों के साथ, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं, आपूर्ति और निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

#### ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	तिरुवनंतपुरम में कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड स्थित आरबीआई कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में प्रदान की गई विद्युत-यांत्रिक प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट करना।
(बी)	अनुमानित लागत	₹2.50 लाख (जीएसटी सहित)
(सी)	बयाना राशि	शून्य
(डी)	कार्य आदेश की 10 तारीख से कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय	छह सप्ताह

2. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम इसके साथ संलग्न संविदा की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या इसके उल्लंघन की स्थिति में उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त कर भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ऐसा न करने पर, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि को जब्त कर आपको या आपके उत्तराधिकारियों या समनुदेशिनी या नामांकित व्यक्ति को निविदा की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक: 2025 का यह \_\_\_\_\_ दिन।

मेसर्स \_\_\_\_\_ के लिए एवं की ओर से

\_\_\_\_\_  
(हस्ताक्षर सहित मुहर)

नाम \_\_\_\_\_

पद का नाम \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर सहित \_\_\_\_\_

नाम, पता और दिनांक

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(2) हस्ताक्षर सहित \_\_\_\_\_

नाम, पता और दिनांक

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**निबंधन और शर्तें, प्रारंभिक डेटा शीट के लिए आधारभूत अध्ययन और अन्य के लिए विवरण तिरुवनंतपुरम में कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड स्थित आरबीआई कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में प्रदान की गई विद्युत-यांत्रिक प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट करना। आयोजित करना**

## **परिचय**

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड स्थित आरबीआई कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में प्रदान की गई विद्युत-यांत्रिक प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट करना। कराने का इच्छुक है। कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों को विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत कटौती के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यालय में उपयुक्त क्षमता के डीजल जनरेटर सेट लगाए गए हैं।

## **उद्देश्य**

विद्युत सुरक्षा जाँच का उद्देश्य मौजूदा विद्युत प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा करना और विद्युत/अग्नि खतरों को समाप्त/कम करने तथा कर्मियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने हेतु उपायों की सिफ़ारिश करना है। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित होगी:

- संभावित विद्युत/अग्नि खतरों की पहचान करना
- सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करके कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना।
- विद्युत स्थापना के संचालन और रखरखाव को सुचारू बनाना।
- मानव जीवन, संपत्ति और महंगे उपकरणों की हानि से बचना।
- प्रासंगिक संहिताओं और प्रथाओं, वैधानिक नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- विद्युत स्थापना में सुरक्षित कार्य करने की प्रक्रिया और प्रक्रिया स्थापित करना।

## **क. सांविधिक आवश्यकताएँ:**

भवन एवं विद्युत प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट (ईएसए) लागू भारतीय मानक, भारतीय विद्युत नियम (1ई), विद्युत वितरण नियमावली (पैरा 4.11) और अन्य प्रासंगिक आचार संहिताओं के संदर्भ में किया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं को रोकने या न्यूनतम करने हेतु संभावित विद्युत खतरों की पहचान की जा सके। निरीक्षण और डेटा संग्रह हेतु क्षेत्रीय दौरों के दौरान अंशांकित उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके ऑडिट किया जाना चाहिए। ऑडिट के दौरान, ऑडिट टीम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत अधिनियम के अनुसार विद्युत नियमों के अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम के पैरा 29 में निहित प्रावधानों का, जो विशेष रूप से नीचे सूचीबद्ध हैं, अनुपालन किया जाए:

**पैरा 29:-** विद्युत आपूर्ति लाइनों और उपकरणों का निर्माण, स्थापना, संरक्षण, संचालन और रखरखाव-

(1) सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें और उपकरण शक्ति, इन्सुलेशन और अनुमानित दोष धारा के लिए पर्याप्त रेटिंग के होंगे और पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के होंगे, जो कि स्थापना की पर्यावरणीय स्थितियों के तहत उन्हें करने के लिए अपेक्षित

कर्तव्य के लिए होगा, और उनका निर्माण, स्थापना, संरक्षण, संचालन और रखरखाव इस तरह से किया जाएगा जिससे 2[मानव, पशु और संपत्ति] की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस नियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी है, यदि कोई हो, का अनुसरण किया जा सकेगा और किसी असंगति की स्थिति में, इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

(3) प्रयुक्त सामग्री और उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, जहां ऐसे विनिर्देश पहले से ही निर्धारित किए गए हैं।

1. जीएसआर 358, दिनांक 30.4.1987 द्वारा प्रतिस्थापित, 9.5.1987 से प्रभावी।
2. जीएसआर 45, दिनांक 1.1.1993 द्वारा 23.1.1993 से प्रतिस्थापित।
3. जी.आर. 466, दिनांक 18.7.1991 द्वारा प्रतिस्थापित, 17.8.1991 से प्रभावी।
4. जीएसआर 358, दिनांक 30.4.1987 द्वारा अंतःस्थापित, 5.9.1987 से प्रभावी।

कुछ प्रासंगिक आचरण संहिताएं नीचे दी गई हैं:

- a. भारतीय विद्युत नियम, 1956 (आज तक संशोधित)
- b. 1एस : 5216 (भाग-1) विद्युत कार्य में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर सिफारिशें।
- c. 1S : 5216 (भाग-II) विद्युत कार्य में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर सिफारिशें।
- d. 1646-1961 अग्नि सुरक्षा अभ्यास संहिता (सामान्य): विद्युत कार्य
- e. 1S . 4770'.1968 - विद्युत प्रयोजन के लिए रबर के दस्तानों के विनिर्देश
- f. 1S . 2309 इमारतों और संबद्ध संरचनाओं का प्रकाश से संरक्षण
- g. सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों के लिए विनियमों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी 20 सितंबर 2010 की राजपत्र अधिसूचना।
- h. राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (आज तक संशोधित)
- i. पीडी मैनुअल का पैरा 4.11 "बैंक की संपत्तियों में विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालन और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश"
- j. कोई अन्य स्थानीय दिशानिर्देश / उपनियम जो लागू हों।

### **बी. बैंक के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों में विद्युत प्रतिष्ठानों का विवरण:**

सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, विद्युत पैनल, कैपेसिटर पैनल, वितरण बोर्ड, वितरण सर्किट, विद्युत वायरिंग जिसमें बिजली, प्रकाश और पंखा सर्किट शामिल हैं, जिसमें अर्थिंग, भवन और उपकरण अर्थिंग, विभिन्न प्रकार के मोटर्स, डीजी सेट, यूपीएस, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, रूम एयर कंडीशनर, एयर हैंडलिंग यूनिट, लिफ्ट, लाइटनिंग अरेस्टर, रसोई उपकरण, पानी पंप, सर्वर, स्विच, पीसी, प्रिंटर और अन्य एलटी उपकरण, सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली की आपूर्ति से जुड़े कोई अन्य उपकरण और गैजेट जो आग के खतरों से ग्रस्त हैं।

## सी. कार्यक्षेत्र

विद्युत सुरक्षा ऑडिट के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

1. कार्यालय में सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं, विद्युत नियमों आदि के संबंध में विद्युत खतरों को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और प्रणाली का अध्ययन करना तथा किसी भी कमी की स्थिति में आगे के उपायों के लिए सुझाव देना।

2. विद्युत संस्थापन के एकल रेखा आरेख (एसएलडी) में सुधार। एचटी पैनल से लेकर फ़्लोर पैनल (संलग्न) तक, ट्रांसफार्मर, मुख्य एलटी पैनल, कैपेसिटर पैनल, डीजी सेट, यूपीएस पैनल आदि को कवर करने वाले मौजूदा एसएलडी की शुद्धता की जाँच की जानी है और किसी भी विचलन को ठीक किया जाना है। एसएलडी में उपकरणों, फीडरों (जहाँ तक संभव हो) आदि की रेटिंग दर्शाई जानी चाहिए। अंतिम आरेख की एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी रिपोर्ट के साथ जमा की जानी चाहिए।

3. कार्यालय परिसर में सभी सुलभ और कार्यशील भू-गड्ढों को शामिल करते हुए भू-संयोजन लेआउट (संलग्न) में सुधार। प्रत्येक भू-गड्ढे को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जानी चाहिए और भवन योजना पर अंकित किया जाना चाहिए। अंतिम आरेख की एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### 4. पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण

- भारतीय विद्युत नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी।
- संबंधित विद्युत उपकरण के अर्थ टर्मिनल से अर्थ स्ट्रिप/कंडक्टर की निरंतरता की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
- कार्य में प्रत्येक मिट्टी के गड्ढे की पहचान, मौजूदा मिट्टी की छड़/नंगे तांबे को हटाना और नट बोल्ट का उपयोग करके पुनः जोड़ना, व्यक्तिगत और संयुक्त मिट्टी के गड्ढे के मूल्यों की जांच करना और प्रत्येक मिट्टी के गड्ढे पर उसका अंकन करना आदि शामिल है।

5. भार के किसी भी असंतुलन की पहचान। विद्युत संस्थापन जैसे ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, आपातकालीन पैनल, फ़्लोर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि में असंतुलन/अतिभार, यदि कोई हो, तो उसे मापने वाले उपकरणों की सहायता से पहचाना जाएगा।

6. थर्मल कैमरे का उपयोग करके हॉट स्पॉट की पहचान: विद्युत स्थापना पैनेलों और वितरण बोर्डों में हॉट स्पॉट, यदि कोई हो, की पहचान थर्मल इमेजिंग/थर्मोग्राफी की मदद से की जाएगी।

7. ट्रांसफार्मर, एचटी/एलटी स्विचगियर के उचित कामकाज और उनके सुरक्षात्मक रिले के उचित कामकाज, सर्किट ब्रेकरों के फेलसेफ इंटरलॉकिंग के लिए ओईएम या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए परीक्षण रिपोर्टों के रिकॉर्ड की जांच करना

8. यात्री और माल/सोना आवाजाही के लिए लिफ्टों की जांच और यात्री सुरक्षा परीक्षण जिसमें दरवाजा सुरक्षा, अलार्म, अधिभार संरक्षण और स्वचालित बचाव उपकरण, फायरमैन नियंत्रण/स्विच, लिफ्ट प्रतिष्ठानों में उपलब्ध शाफ्ट और मशीन रूम आदि में वायरिंग का परीक्षण शामिल है और यदि कोई अंतराल है तो उसकी पहचान की जाएगी और ऑडिट रिपोर्ट में इंगित किया जाएगा।

9. विद्युत आपूर्ति के स्रोतों का भौतिक निरीक्षण जैसे ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन उपकरण, डीजी सेट, यूपीएस प्रतिष्ठान और संबंधित विद्युत वितरण विद्युत प्रतिष्ठान जिसमें सर्वर रूम, एलटी उपकरण आदि के लिए विद्युत आपूर्ति प्रणालियां और वायरिंग शामिल हैं, लागू भारतीय मानकों, भारतीय विद्युत नियमों और अन्य प्रासंगिक अभ्यास संहिताओं के संदर्भ में किया जाएगा। ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बैंकों में तेल का रिसाव, डीजी सेटों में डीजल/पानी/तेल, एसी प्लांट में तेल/रेफ्रिजेंट का रिसाव, लिफ्ट शाफ्ट में पानी का रिसाव, किसी भी विद्युत उपकरण आदि पर पानी का रिसाव की जांच की जाएगी।

10. बैंक द्वारा जारी मौजूदा परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार, 24x7x365 परिचालन वाले क्षेत्रों, जैसे यूपीएस सिस्टम, बैटरी रूम, सर्वर रूम आदि में विद्युत/आईटी उपकरणों वाले क्षेत्रों में एसी इकाइयों/पीएसी प्रणालियों और वेंटिलेशन प्रणालियों सहित एसी सेवाओं के प्रावधानों और पर्याप्तता की जांच करना। उचित संचालन के लिए टाइमर या किसी ओईएम स्थापित लॉजिक सर्किट आदि के माध्यम से स्टैंडबाय पंखों/एसी इकाइयों के वैकल्पिक संचालन की जांच करना।

11. विद्युत स्थापना और उपकरण रखरखाव के निवारक रखरखाव के परिपत्रों, अभिलेखों, प्रथाओं और दस्तावेजों का सत्यापन और परिसर विभाग मैनुअल (पैरा 4.11) के अनुसार उनका अनुपालन किया जाएगा।

12. विद्युत खतरों जैसे ढीले लटके तार, ठीक से न बिछाई गई केबल, टूटे हुए स्विच, प्लग और सॉकेट आदि की पहचान की जाएगी।

13. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्विचगियर्स में सुरक्षा उपकरणों और उनकी सेटिंग्स की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वांछित श्रेणीबद्ध तरीके से हैं, जैसा कि मौजूदा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें ईएलसीबी की सेटिंग/पर्याप्तता और पृथ्वी रिसाव संरक्षण के लिए उनकी रेटिंग शामिल है।

14. भवन की बिजली सुरक्षा प्रणाली की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बिजली अवरोधक दो अलग-अलग भू-गड्ढों से जुड़े हों। ये गड्ढे विद्युत प्रणाली की भू-गड्ढों से नहीं जुड़े होने चाहिए।

15. मानक के अनुसार विभिन्न कार्य क्षेत्र में रोशनी के स्तर की जांच करना और प्रक्रिया/क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अंतराल/कमी की पहचान करना।

16. विद्युत उपकरणों एवं सबस्टेशन के पास हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में विद्युत आघात उपचार चार्ट की उपलब्धता की जांच करना। विद्युत कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा, आघात उपचार, आपात स्थिति से निपटने एवं कृत्रिम श्वसन पर दिए गए प्रशिक्षण के अभिलेखों की जांच करना।

17. विद्युत दुर्घटनाओं के लॉग की जांच करना।

18. विद्युत स्थापना के प्रमुख स्थान पर वोल्टेज को दर्शाने वाले खतरे के संकेत बोर्ड के प्रावधान की जांच करना।

फेज और अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए विभिन्न पैनल और वितरण बोर्डों पर केबल टर्मिनेशन की जांच करना।

20. सभी घूमने वाले विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षात्मक गार्ड और बेल्ट कवर के प्रावधान की जांच करना।

21. सभी विद्युत प्रतिष्ठानों के पास अग्निशमन उपकरणों और अग्नि अलार्म प्रणाली डिटेक्टरों की उपलब्धता की जांच करना। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत सबस्टेशन और विद्युत पैनल स्थानों के पास मुक्त प्रवाह वाली रेत से भरी अग्नि बाल्टियाँ और डीसीपी/सीओ2 अग्निशामक यंत्र उपलब्ध हों।



22. यह सत्यापित करना कि विद्युत स्थापना कार्य में लगे सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अर्थात् इंसुलेटेड दस्ताने, सुरक्षा जूते और इंसुलेटेड उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली के लिए समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।

23. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था का सत्यापन करना तथा समय-समय पर समाप्त हो चुकी दवाओं को बदलना।

24. सभी विद्युत पैनलों के सामने आईएसआई मार्क के इंसुलेटेड मैट की व्यवस्था की जांच करना।

25. रखरखाव कार्य के लिए उचित ऊंचाई, मजबूत और उचित रूप से इंसुलेटेड सीढ़ियों के प्रावधान और उपयोग की जांच करना।

26. सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर कक्ष, विद्युत पैनल कक्ष और बैटरी कक्ष आदि के उचित वेंटिलेशन के प्रावधान की जांच करना।

27. उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा प्रणालियों में किसी भी कमी की जांच करना जो मानव और अग्नि सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

### **डी. उपकरण / मापने के उपकरण**

विद्युत सुरक्षा ऑडिट के लिए आवश्यक सभी उपकरण/यंत्र फर्म को बैंक को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना स्वयं ही व्यवस्थित करने होंगे। फर्म के पास विद्युत सुरक्षा ऑडिट के लिए निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण/यंत्र होने चाहिए:

- तीन-चरण शक्ति विश्लेषक
- थर्मोग्राफी कैमरा
- पृथ्वी परीक्षक
- मेगर
- कोई अन्य उपकरण/यंत्र।

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी प्रकार की सहायता व्यक्ति/सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं कराएगा तथा फर्म को सभी प्रकार की सहायता की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

### **ई. पात्रता:**

विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने के लिए इच्छुक फर्मों को पेशेवर रूप से योग्य डिग्री धारक और अनुभवी विद्युत सुरक्षा ऑडिटर होना चाहिए।

, वित्तीय संस्थानों, प्रमुख होटलों या बहुमंजिला कार्यालय भवनों या 500 किलोवाट के न्यूनतम कनेक्टेड लोड वाले किसी अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों में पिछले 5 वर्षों में कम से कम दो विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का अनुभव होना चाहिए।

ठेकेदारों को अनुलग्नक II के अनुसार कोटेशन के साथ पात्रता शर्तों के समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे। ऐसा न करने पर कोटेशन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## एफ. करार:

सफल ठेकेदार को अनुलग्नक III में दिए गए करार प्रारूप के अनुसार 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा।

## जी. समापन अवधि:

संपूर्ण कार्य पूरा करने की अवधि **कार्य सौंपे जाने की दसवीं तिथि से छह सप्ताह है**। साइट सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण/माप और मसौदा रिपोर्ट पाँच सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी और उसके एक सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

## एच. अदायगी की शर्तें:

कार्य के लिए भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

विद्युत सुरक्षा ऑडिट पूरा होने और बैंक को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उद्धृत राशि का 100%।

## I. साइट पर काम करें

फर्म परिसर का दौरा कर सकती है और कार्यस्थल की स्थिति का पता लगा सकती है। कार्य बैंक के सामान्य कामकाज में किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा किए बिना, एक कार्यरत कार्यालय भवन में किया जाना चाहिए। कार्यालय समय के दौरान बिजली बंद नहीं की जाएगी। कार्य के लिए आवश्यक बिजली बंद बैंक के विवेकानुसार छुट्टियों और कार्यालय समय के बाद दी जाएगी। इन आधारों पर बाद में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

फर्म को ऐसे कार्यों के लिए केवल योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/तकनीशियनों को ही नियुक्त करना चाहिए जिनके पास आवश्यक लाइसेंस हों। फर्म को कार्य करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्तियों और संपत्तियों को कोई नुकसान न हो। बैंक किसी भी व्यक्ति को हुई चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी किसी भी घटना की पूरी ज़िम्मेदारी फर्म की होगी। विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने वाले व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का भी उपयोग करना होगा।

## जे. रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

ऑडिट पूरा होने के बाद, बैंक के इंजीनियरों के साथ एक पोस्ट-ऑडिट समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उनकी टिप्पणियों का विवरण दिया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में सुरक्षा ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम द्वारा देखी गई संपूर्ण विद्युत स्थापना की स्थिति शामिल होगी। रिपोर्ट में विद्युत स्थापनाओं में सुधार के लिए ऑडिट टीम की सिफारिशें भी शामिल होंगी।

दिनांक \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

एजेंसी का हस्ताक्षर

नाम और पता

## मौजूदा विद्युत प्रणालियों का विवरण

### A. एमओबी- मुख्य कार्यालय भवन

स्वीकृत एमडी (केवीए):	825 केवीए
कनेक्टेड लोड (किलोवाट):	925 किलोवाट
की संख्या:	17
संख्या :	129
सकल निर्मित क्षेत्रफल:	12802 वर्ग मीटर (मुख्य कार्यालय - बेसमेंट + जीआर + 3 मंजिल)
	3898 वर्ग मीटर (एनेक्स बिल्डिंग - ग्रेड + 3 मंजिल)
सकल वातानुकूलित क्षेत्र:	7362 वर्ग मीटर लगभग।

### उपकरणों का विवरण :

ट्रांसफार्मर	क्षमता (केवीए)	वोल्टेज अनुपात	शीतलन का प्रकार (तेल / वायु)
ट्रांसफार्मर नंबर 1	630 केवीए	11 केवी/433 वोल्ट	ओनान
ट्रांसफार्मर नंबर 2	630 केवीए	11 केवी/433 वोल्ट	ओनान

### केंद्रीय एसी प्लांट डेटा:

चिलर इकाइयाँ	क्षमता (टीआर)	कंप्रेसर मोटर 1 (किलोवाट)	कंप्रेसर मोटर 2 (किलोवाट)	ठंडा पानी प्रवाह (एलपीएम)	कंडेनसर जल प्रवाह (एलपीएम)
चिलर नंबर 1	225 टीआर	102	102	2416	4100
चिलर नंबर 2	225 टीआर	102	102	2416	4100

	प्रवाह (एलपीएम)	प्रमुख (पुरुष)	मोटर (किलोवाट)
ठंडा पानी पंप 1	2416	30	18.5
ठंडा पानी पंप 2	2416	30	18.5
ठंडा पानी पंप 3	2416	30	18.5

	प्रवाह (एलपीएम)	प्रमुख (पुरुष)	मोटर (किलोवाट)
कंडेनसर जल पंप 1	4100	32	30
कंडेनसर वाटर पंप 2	4100	32	30
कंडेनसर वाटर पंप 3	4100	32	30

	क्षमता (टीआर)	प्रवाह (एलपीएम)	मोटर (किलोवाट)
कूलिंग टॉवर 1	280	4100	5.5
कूलिंग टॉवर 2	280	4100	5.5

## लिफ्टों

क्रम. नहीं।	जगह	बनाना	यात्री क्षमता	गति (मी/से)	सेवा प्रदान की गई मंजिलों की संख्या	नियंत्रक V3F है या नहीं
1	भीड़	जॉनसन	8 यात्री	1	4(जीआर+3)	हाँ
2	भीड़	जॉनसन	8 यात्री	1	4(जीआर+3)	हाँ
3	भीड़	जॉनसन	8 यात्री	1	5(बेसमेंट+जी+3)	हाँ
4	भीड़	ओटिस	2000 किलो	0.6	4 (बीएसमेंट+जी+2)	हाँ
5	सुविधाएं	ओमेगा	6 यात्री	1	4(जीआर+3)	हाँ

## यूपीएस विवरण

क्रम सं.	जगह	बनाना	क्षमता (केवीए)
1	केंद्रीकृत यूपीएस कक्ष	पावर वन	2x100केवीए
2	20kVA यूपीएस कक्ष	पावर वन	2x 20 केवीए

## डीजी सेट

क्रम सं.	जगह	बनाना	रेटिंग (kVA)
डीजी सेट नंबर 1	डीजी सेट रूम	ग्रीव्स	320 केवीए
डीजी सेट नंबर 2	डीजी सेट रूम	किलोस्कर	320 केवीए

## विशेष उपकरण जैसे थ्रेडिंग और ब्रिकेटिंग मशीन, सीवीपीएस मशीन आदि.

क्रम सं.	मशीन का नाम	बनाना	प्रत्येक मशीन की पावर रेटिंग (किलोवाट)	प्रतिदिन अपेक्षित परिचालन घंटे
1	सीवीपीएस (3 संख्या)	जीएनडी	4 किलोवाट	8 घंटे.
2	ब्रिकेटिंग मशीन	कुस्टर्स	37 किलोवाट	8 घंटे.
3	थ्रेडिंग मशीन	कुस्टर्स	14 किलोवाट	8 घंटे.

## जल पंप

क्रम सं.	जगह	बनाना	क्षमता (एचपी)
1	पंप कमरा	किलोस्कर	10
2	पंप कमरा	किलोस्कर	5
3	पंप कमरा	किलोस्कर	5
4	बैकिंग हॉल के पीछे पंप रूम	क्रॉम्पटन ग्रीव्स	2

5	पीछे पंप रूम बैंकिंग हॉल	क्रॉम्पटन ग्रीव्स	3
---	-----------------------------	-------------------	---

### **बी. आवासीय क्वार्टर**

ऑडिट में सभी आवासीय परिसरों में सभी बाहरी विद्युत स्थापनाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे **पंप हाउस, मीटर रूम और कोई भी 3 चरण/भारी भार** आदि।

**कुल फ्लैटों में से** लगभग 10% को ऑडिट के लिए विचार किया जा सकता है और तदनुसार फ्लैटों के अंदर आंतरिक विद्युत वायरिंग/बुनियादी ढांचे की जांच की जा सकती है।

विभिन्न तिमाहियों में मौजूदा विद्युत प्रणालियों का विवरण इस प्रकार है।

### **आरबीआई अधिकारी क्वार्टर, कवडियार :**

#### **ट्रांसफार्मर**

केएसईबी से 500 केवीए का 1 ट्रांसफार्मर

**कुल फ्लैटों की संख्या: 69**

क्रम सं.	अवरोध पैदा करना	प्रति ब्लॉक फ्लैट	फ्लैटों से कनेक्शन का प्रकार	प्रति फ्लैट कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	ए	8	3 फ़ोन	9.00
2	बी	8	3 फ़ोन	9.00
3	सी	8	3 फ़ोन	8.00
4	डी	8	3 फ़ोन	9.00
5	ई	8	3 फ़ोन	9.00
6	एफ	8	3 फ़ोन	9.00
7	जी	16	3 फ़ोन	12.00
8	एच	4	3 फ़ोन	15.00
9	मैं	1	3 फ़ोन	8.00

### **अन्य कनेक्शन**

क्रम सं.	नाम	जगह	कनेक्शन का प्रकार	कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	एक सामान्य	एक ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
2	बी कॉमन	बी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
3	सी कॉमन	सी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00

4	डी कॉमन	डी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
5	ई कॉमन	ई ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
6	एफ कॉमन	एफ ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
7	जी-1 कॉमन	जी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
8	जी-2 कॉमन	जी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
9	एच कॉमन	एच ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
10	पैलेस	-	3 फ़ोन	19.00
11	पंप हाउस- 1	मुख्य द्वार के पास	3 फ़ोन	15.00
12	पंप हाउस- 2	I ब्लॉक के पास	3 फ़ोन	4.00

### **जल पंप**

क्रम सं.	जगह	क्षमता (एचपी)
1	मुख्य नाबदान के पास	10
2	मुख्य नाबदान के पास	10
3	मुख्य नाबदान के पास	5
4	ओवरहेड टैंक के नीचे नाबदान	7.5
5	बोरवेल (केवल स्टेटर कनेक्शन की जांच की जानी है)	2
6	खुला कुआं (सबमर्सिबल पंप, केवल स्टेटर कनेक्शन की जांच की जानी है)	1.5

### **आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, तम्मालम**

#### **ट्रांसफार्मर**

केएसईबी से 250 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर

**कुल फ्लैटों की संख्या: 96**

क्रम सं.	अवरोध पैदा करना	प्रति ब्लॉक फ्लैट	फ्लैटों से कनेक्शन का प्रकार	प्रति फ्लैट कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	ए	6	3 फ़ोन	6.00
2	बी	12	1 फ़ोन	2.00
3	सी	12	1 फ़ोन	2.00
4	डी	6	1 फ़ोन	2.00
5	ई	6	1 फ़ोन	3.00
6	एफ	6	1 फ़ोन	2.00
7	एच	12	1 फ़ोन	2.00
8	जे	12	1 फ़ोन	2.00
9	कश्मीर	12	1 फ़ोन	2.00
10	एल	12	1 फ़ोन	2.00

### अन्य कनेक्शन

क्रम सं.	नाम	जगह	कनेक्शन का प्रकार	कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	एक सामान्य	एक ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
2	बी कॉमन	बी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
3	सी कॉमन	सी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
4	डी कॉमन	डी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
5	ई कॉमन	ई ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
6	एफ कॉमन	एफ ब्लॉक	1 फ़ोन	6.00
7	एच कॉमन	एच ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
8	जे कॉमन	जे ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
9	के कॉमन	के ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
10	एल कॉमन	एल ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
11	पंप हाउस	मुख्य द्वार के पास	3 फ़ोन	25.00
12	सामुदायिक हॉल	-	3 फ़ोन	3.00
13		-	3 फ़ोन	7.00
14		-	3 फ़ोन	10.00
15	एसटीपी- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	सी ब्लॉक के पास	3 फ़ोन	6.00

### जल पंप

क्रम सं.	जगह	क्षमता (एचपी)
1	मुख्य सम्प (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	7.5
2	मुख्य सम्प (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	7.5
3	मुख्य सम्प (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	7.5
4	मुख्य सम्प (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	7.5
5	ग्राउंड पंप रूम में मोनो ब्लॉक (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	1.5
5	एसटीपी में मोनो ब्लॉक (केवल स्टेटर कनेक्शन की जाँच की जानी है)	1

## आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, प्लामूड

### ट्रांसफार्मर

केएसईबी से 250 केवीए के 1 ट्रांसफार्मर की जांच की जानी है (केवल दृश्य निरीक्षण)

**कुल फ्लैटों की संख्या: 48**

क्रम सं.	अवरोध पैदा करना	प्रति ब्लॉक फ्लैट	फ्लैटों से कनेक्शन का प्रकार	प्रति फ्लैट कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	ए	8	1 फ़ोन	4.00
2	बी	8	1 फ़ोन	4.00
3	सी	8	1 फ़ोन	4.00
4	डी	8	1 फ़ोन	4.00
5	ई	8	1 फ़ोन	4.00
6	एफ	8	1 फ़ोन	4.00

### **अन्य कनेक्शन**

क्रम सं.	नाम	जगह	कनेक्शन का प्रकार	कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	एक सामान्य	एक ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
2	बी कॉमन	बी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
3	सी कॉमन	सी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
4	डी कॉमन	डी ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
5	ई कॉमन	ई ब्लॉक	1 फ़ोन	2.00
6	एफ कॉमन	एफ ब्लॉक	1 फ़ोन	6.00
7	पंप हाउस	मुख्य द्वार के पास	3 फ़ोन	25.00
8	सामुदायिक हॉल	-	3 फ़ोन	5.00
9	औषधालय	-	1 फ़ोन	1.00
10	दरवाज़ा	-	1 फ़ोन	2.00

### **जल पंप**

क्रम सं.	जगह	क्षमता (एचपी)
1	मुख्य नाबदान	7.5
2	मुख्य नाबदान	7.5
3	बोरवेल सबमर्सिबल	1.5



## आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, नैन्थेनकोड

### ट्रांसफार्मर

केएसईबी से 250 केवीए के 1 ट्रांसफार्मर की जांच की जानी है (केवल दृश्य निरीक्षण)

**कुल फ्लैटों की संख्या: 56**

क्रम सं.	अवरोध पैदा करना	प्रति ब्लॉक फ्लैट	फ्लैटों से कनेक्शन का प्रकार	प्रति फ्लैट कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	ए	8	1 फ़ोन	3.00
2	बी	8	1 फ़ोन	3.00
3	सी	8	1 फ़ोन	3.00
4	डी	8	1 फ़ोन	3.00
5	ई	8	1 फ़ोन	3.00
6	एफ	8	1 फ़ोन	3.00
7	जी	8	1 फ़ोन	3.00

### अन्य कनेक्शन

क्रम सं.	नाम	जगह	कनेक्शन का प्रकार	कनेक्टेड लोड (किलोवाट)
1	एक सामान्य	एक ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
2	बी कॉमन	बी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
3	सी कॉमन	सी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
4	डी कॉमन	डी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
5	ई कॉमन	ई ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
6	एफ कॉमन	एफ ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
7	जी कॉमन	जी ब्लॉक	1 फ़ोन	1.00
8	पंप हाउस	मुख्य द्वार के पास	3 फ़ोन	12.00
9	सामुदायिक हॉल	-	1 फ़ोन	1.00
10		-	1 फ़ोन	1.00

### जल पंप

क्रम सं.	जगह	क्षमता (एचपी)
1	मुख्य नाबदान	5
2	मुख्य नाबदान	5

## अनुबंध II

### ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में इसी प्रकार का कार्य पूरा हो चुका है।)

क्रमांक।	विवरण	ग्राहक का नाम (1)	ग्राहक का नाम (2)
1	पता, फैक्स और टेलीफोन नंबर		
2	प्रतिष्ठान का नाम, स्थान और पता।		
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण		
4	अनुबंध प्रदान करने की तिथि		
5	कार्य पूरा होने की तिथि		
6	स्थापना का कनेक्टेड लोड		
7	क्या प्रतिष्ठान में केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली है		

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

1. उपर्युक्त कार्यों के लिए कायदेशि।
2. विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षक का डिग्री प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र।

**करार की शर्तें**

यह करार एक पक्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष की ओर से \_\_\_\_\_ (जिसे आगे "लेखा परीक्षक" कहा जाएगा) के बीच \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन पर किए गए। चूंकि नियोक्ता, कवडियार, तम्मालम, प्लामूड और नतनकोड, तिरुवनंतपुरम में बैंक के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों की विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का इच्छुक है और उसने किए जाने वाले कार्य का वर्णन करने वाले चित्र और विनिर्देश जारी किए हैं और चूंकि उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि लेखापरीक्षक ने विषयगत कार्य को यहां निर्धारित शर्तों के अनुसार तथा विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और अनुबंध की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा संशोधित और अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) उक्त चित्रों में दर्शाए गए कार्यों और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल किए गए कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें निर्धारित राशि के बराबर या उसके तहत देय होने वाली अन्य राशि होगी (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

**अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है-**

2.1 उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि के प्रतिफल में, लेखा परीक्षक, उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त रेखाचित्रों में दर्शाए गए तथा उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

2.2 नियोक्ता लेखा परीक्षक को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाएगी।

2.3 उक्त शर्तों में "वास्तुकार" शब्द का अर्थ होगा मुख्य महाप्रबंधक - प्रभारी, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और किसी भी कारण से इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए उनके वास्तुकार न रहने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर लेखा परीक्षक नियोक्ता द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले कारणों से आपत्ति करेगा। बशर्ते कि इस अनुबंध के तहत बाद में वास्तुकार के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति, उस समय वास्तुकार द्वारा लिखित रूप में दिए गए या व्यक्त किए गए किसी भी पिछले निर्णय या अनुमोदन या निर्देश की अवहेलना या उसे खारिज करने का हकदार नहीं होगा।

2.4 उक्त शर्तों और अनुबंधों को इस करार के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा तथा इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके प्रति समर्पित होंगे तथा अपनी ओर से उक्त शर्तों के अंतर्गत समझौतों का पालन करेंगे।

2.5 यहां उल्लिखित चित्र, करार और दस्तावेज़ इस संविदा का आधार बनेंगे।

2.6 यह संविदा एकमुश्त संविदा माना जाएगा जैसा कि निविदा दस्तावेज़ों के मात्रा बिल और विनिर्देशों में वर्णित है।

2.7 लेखा परीक्षक उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

2.8 नियोक्ता इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के किसी भी मद को जोड़ने या हटाने या उसके किसी भाग को पूरा करवाने के द्वारा कार्य के रेखाचित्र और प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 समय को इस संविदा का सार माना जाएगा और लेखापरीक्षक उक्त शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के दिन से कार्य शुरू करने और **कार्य आदेश की 10** तारीख से 6 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है, फिर भी समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

2.10 इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।

2.11 इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम की अदालतों को ही इसका निर्धारण करने का अधिकार होगा।

2.12 यह कि इस संविदा के विभिन्न भागों को लेखा परीक्षक द्वारा पढ़ लिया गया है तथा लेखा परीक्षक द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है।

यदि लेखा परीक्षक एक साझेदारी या एक व्यक्ति है	जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक और लेखा परीक्षक ने इन उपहारों और इनकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं, जो पहले दिन और वर्ष के रूप में ऊपर लिखे गए हैं।
यदि लेखा परीक्षक एक कंपनी है	प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और लेखा परीक्षक ने इस पर अपनी सामान्य मुहर लगवाई है तथा इसकी दो प्रतियां अपनी ओर से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित करवाई हैं।

हस्ताक्षर खंड:

**भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम** द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित

.....  
( नाम और पदनाम )

की उपस्थिति में -

साक्षी -

1. हस्ताक्षर .....

2. हस्ताक्षर.....

पता

पता

.....

.....

.....

.....

**यदि पक्ष साझेदारी फर्म या कोई व्यक्ति है, के द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित**

हस्ताक्षर.....

.....  
( नाम और पद का नाम )

की उपस्थिति में ( साक्षी )

1. हस्ताक्षर ..... 2. हस्ताक्षर .....

पता पता

.....

.....

.....

..... का सामान्य मुहर

.....को आयोजित निदेशक मंडल के बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में यहाँ संदर्भित किया गया है।

की उपस्थिति में (साक्षी)

1. हस्ताक्षर ..... 2. हस्ताक्षर .....

पता पता

.....

.....

यदि यह संविदा इसके सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर किया जाता है तो उनके करार की शर्तों के साथ मुहर खंड के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

निदेशक जिन्होंने (साक्षियों) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया है

1. हस्ताक्षर .....

2. हस्ताक्षर .....

पता

पता

.....

.....

.....

यदि यह संविदा मुख्तारनामा चाहे वह कंपनी या व्यक्ति हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है,

के हाथों संविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित

श्री / श्रीमती ..... और यथागठित अटर्नी

की उपस्थिति में (साक्षी)

1. हस्ताक्षर .....

2. हस्ताक्षर .....

पता

पता

.....

.....

भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग  
तिरुवनंतपुरम

मात्रा के बिल

कार्य का नाम: कवडियार, तम्मालम , प्लामूड और नतनकोड, तिरुवनंतपुरम स्थित बैंक के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना।

क्रम. सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	नियमों और शर्तों में विनिर्दिष्ट दायरे के अनुसार विद्युत सुरक्षा ऑडिट आयोजित करने और विद्युत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट (सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी- 3 संख्या) जमा करने की दर।	1	एकमुश्त राशि		
2.	जीएसटी				
3.	कुल				

स्थान:  
तारीख :

ठेकेदार का मुहर और हस्ताक्षर